

फर्द अहकाम

कालेस

बनाम कालेस/राज के

नाम न्यायालय

केस संख्या २४/२०२१

५२

नय

७९

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक आज्ञा कार्यवाही
	५१७/२२	<p>कोलेस रखे आज्ञानुसार को पेश हो। वकील जाते दिनांक ६/७/२२ अमेर</p>	
	६/७/२२	<p>क. म. उप० / लक्ष्मीलक्ष्मी चौधरी से पूर्व में करेगाट रिपोर्ट ग्राहक हुए जो शाश्वत पत्रावली किया गया। गायत्री उल्हाडी संख्या ७ द्वारा पत्र पत्र बाध आपत्ती उद्घट करने हेतु अवसर दे जाते का पेश किया जो शाश्वत पत्रावली किया गया। गायत्री उल्हाडी संख्या ७ के विरुद्ध पूर्व में एक पहिले कार्यवाही अमेर में लक्ष्मी चौधरी के गायत्री/उल्हाडी द्वारा उद्घट पत्र में करेगाट के संबंध में कोई विशेष आपत्ती का कारण उल्लेख नहीं किया गया है। जिससे गायत्री/उल्हाडी संख्या ७ का कार्यवाही पत्र केवल भाग निस्सरण में देरी करने की गारंटी से पेश किया जाना उद्घट होता है अतः ग. बाध आपत्ती उद्घट करने का खारिज किया जाता है।</p> <p>अधिकांश उभय पक्षों में करेगाट रिपोर्ट दिनांक २५.०२.२२ पर सुनि गयी। पत्रावली अत उपलब्ध रिकार्ड का अपलोड किया गया। गायत्री का बाध स्वीकार किया जा रहा है। करेगाट रिपोर्ट दिनांक २५.०२.२२</p>	

४९६

फर्द अहकाम

कमलेश बनाम कल्याणराज तगौड

लय

78/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>अन्तिम डिडी किया गया है डिडी फर्द जारी है किण्वी वृधक से लिखा जाकर आश्रीला पत्रवली किया गया। पत्रवली के शक शकाल दोनक रूप वरुधक से काक दोनक करवली करवली है।</p> <p>882</p>	
8/8/22	<p>अधिवक्ता कांशी द्वारा डा. पत्र अन्तर्गत घाश 152 सी.पी.सी पत्रा होने पर पत्रवली आज करवली की गयी डा. पत्र के संबंध में पोष्टि करवली के अवलोकन किया गया अधिवक्ता कांशी/द्वारा द्वारा डा. पत्र पत्रा कर करवली किया कि न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 6/1/22 के वरिष्ठ कर करवली 3 के अनुसार शकाल करवली उपोनाथ, डिडसा 3/48 के सदक से नारी लिखा गया के व कर करवली 4 के कल्याण, शक, शकाल, उपोनाथ, करवली पत्रा नालु डिडसा 34/24, के शकाल पर सदक से डिडसा 24/249 लिखा</p>	

